

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक एवं पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम( संबंध )	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सुभाष प्रसाद, सामान्य	श्री युगल महतो( पिता)	34/24.10.16	ग्रा०-शियानी, पो०-बेलछी, था०-चोवाडा, शेखपुरा	88131010 00052	कंनरा बैंक, CNRB0008813	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ईंट भट्टा में मजदूरी का कार्य
2	स्व० विपुल कुमार, श्री रामरेखा शर्मा, सामान्य	श्रीमती बेबी कुमारी(पत्नी)	373/27.11. 17	ग्रा०+पो०-पैन, था०+प्र०-जि०-शेखपुरा	33090110 077358	बिहार ग्रामीण बैंक, शेखपुरा, UCBAORRBBKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूर
3	स्व० पार्वती उर्फ बेबी देवी, अति पि०	श्री रमेश प्रसाद(पति)	374/27.11. 17	ग्रा०-धरमपुर, पो०-हथियावा, पो०+था०+ प्र०+जि०-शेखपुरा	35751349 37	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शेखपुरा, CBIN0284106	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल :-₹ 300000/-

(तीन लाख रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-53/2016 के पृष्ठ-13 /टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-53/2016

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को देंगे।

ह०

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।







ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-53/2016

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए

ह० (कामिनी कुमारी) श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	ह० (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह० (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
--	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-53/2016

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह० (कामिनी कुमारी) श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	ह० (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह० (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
--	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-53/2016

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, शेखपुरा को उनके पत्रांक 407 दिनांक 07.12.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० (कामिनी कुमारी) श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	ह० (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह० (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
--	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-53/2016

पटना, दिनांक :-




प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को उनके ज्ञापांक 34 दिनांक 24.10.16, 373, 374 दिनांक 27.11.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह० (कामिनी कुमारी) श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	ह० (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह० (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
--	--	---

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-53/2016-30

पटना, दिनांक :- 18-01-17

प्रतिलिपि :- आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 (कामिनी कुमारी) श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	 (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	 (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
---	---	--